दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

सं./No.P(R)482/P/Vol.III

प्रधान कार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated:27 -10-2016

आर बी ई सं/RBE No. 126/ 2016 **पी बी सी सं/ PBC No: 153 / 2016**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs / DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Wokshops / other Units, etc.,
(As per mailing list –'A')

विषय/Sub: Grant of ad-hoc bonus for 30 days to the Group 'C' & 'D' RPF / RPSF personnel for the financial year 2015 - 2016.

******

A copy of Railway Board's letter No.E(P&A)II-2016/Bonus-1 dated 27-10-2016 (RBE No.126 / 2016) on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter dated 29-12-1988 referred therein have been circulated under PBC No. 76 / 1989.

(V.SRINIVASAN)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA

The Genl Secy / NFIR

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 126/2016
No.E(P&A)II-2016/Bonus-1 New Delhi, dated 27.10.2016

The General Managers/CAOs (R),
All Indian Railways & Production Units.
(As per mailing list).

Subject : Grant of ad-hoc bonus for 30 days to the Group 'C' & 'D' RPF/RPSF personnel for the financial year 2015-2016.

*****

The President is pleased to decide that all Group 'C' & 'D' RPF/RPSF personnel, may be granted ad-hoc bonus equivalent to 30 (thirty) days emoluments for the financial year 2015-2016. without any wage eligibility ceiling. The calculation ceiling has been enhanced to ₹ 7000/- w.e.f. 01.04.2014.

2. The benefit will be admissible subject to the following terms and conditions:-

a) Only those Group 'C' & 'D' RPF/RPSF personnel who were in service on 31.3.2016 and have rendered at least six months of continuous service during the year 2015-2016 will be eligible for payment under these orders. Pro-rata payment will be admissible to the eligible personnel for period of continuous service during the year ranging from six months to a full year, the eligibility period being taken in terms of number of months of service (rounded to the nearest number of months).

b) The quantum of ad-hoc bonus will be worked out on the basis of average emoluments/calculation ceiling whichever is lower. To calculate ad-hoc bonus for one day, the average emoluments in a year will be divided by 30.4 (average number of days in a month). This will thereafter be multiplied by the number of days of bonus granted. To illustrate, taking the calculation ceiling of ₹ 7000/-(where actual average emoluments exceed ₹ 7000), ad-hoc bonus for thirty days would work out to ₹ 7000 x30/30.4 = ₹ 6907.89 (rounded off to ₹ 6908/-)

c) All payments under these orders will be rounded off to the nearest rupee.

d) In the matter where the aforesaid provisions are silent, clarificatory orders issued vide this Ministry's letter No. E(P&A)II-88/Bonus-3 dated 29.12.1988, as amended from time to time, would hold good.

e) All the Group 'C' & 'D' RPF/RPSF personnel, regardless of whether they are in uniform or out of uniform and regardless of place of their posting, shall be eligible only for ad-hoc bonus in terms of these orders.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Md. Salim Ahmed.

(Salim Md. Ahmed)
Dy.Director/E(P&A)II
Railway Board.

New Delhi, dated 27.10.2016

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

आर.बी.ई.सं.124/ 2016

सं. ई(पीएंडए)।-2016/बोनस-1

नई दिल्ली, दि. 27.10.2016

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची । और ।। के अनुसार)

विषय:- रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह 'ग' तथा 'घ' कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 30 दिनों के तदर्थ बोनस की मजूरी.

*****

राष्ट्रपति जी को यह विनिश्चय करते हुए हर्ष है कि रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह 'ग' तथा 'घ' के सभी कर्मचारियों को, पात्रता के लिए मजूरी की बिना किसी अधिकतम सीमा के, वर्ष 2015-16 के लिए 30 (तीस) दिनों की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस प्रदान किया जाए । तदर्थ बोनस की परिकलन सीमा 01.04.2014 से ₹ 3500/- प्रतिमाह से बढाकर ₹ 7,000/- प्रतिमाह कर दी गई है ।

2. यह लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा :-

(i) रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह "ग" तथा "घ" के सभी कर्मचारियों के केवल वे ही कर्मचारी इन आदेशों के अधीन अदायगी के पात्र होंगे जो 31.03.2016 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2015-16 के दौरान कम से कम छः महीने लगातार सेवा पूरी की हो । वर्ष के दौरान छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता की अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जाएगी।

(ii) तदर्थ बोनस की प्रमात्रा औसत परिलब्धियाँ/ परिकलन सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर आधारित होगी । एक दिन के लिए तदर्थ बोनस की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से भाग दिया जाएगा । उसके बाद इसे बोनस दिए जाने वाले दिनों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा । उदाहरणार्थ, परिकलन सीमा ₹ 7000/- मानते हुए (जहां वास्तविक औसतन परिलब्धियां ₹ 7000/-से अधिक हैं), 30 दिनों के लिए तदर्थ बोनस ₹ 7000/-X30/30.4= ₹ 6907.89/- (₹ 6908/-में पूर्णांकित) होगा ।

(iii) इन आदेशों के अंतर्गत सभी अदायगियां निकटतम रूपये में पूर्णांकित की जाएंगी ।

(iv) ऐसे मामलों में जहां उपर्युक्त उपबंधों में कोई व्यवस्था नहीं है, समय-समय पर संशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 29.12.1988 के पत्रांक ई (पीएंडए)।-88/बोनस/3 द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण आदेश से लागू होंगे ।

(v) रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह "ग" तथा "घ" के सभी कर्मचारी इस बात का ख्याल किए बिना कि वे वर्दी में हैं अथवा बिना वर्दी हैं और तैनाती के स्थान का ख्याल किए बिना इन आदेशों के अनुसार केवल तदर्थ बोनस के लिए पात्र होंगे ।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

मो. सलीम अहमद

(सलीम मो.अहमद)
उप निदेशक/स्था.(वे.एवं भ.)।।
रेलवे बोर्ड